संख्याः–742/II–2006–04(21)/05

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार,
संयुक्त सचिव,
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तरॉचल,
देहरादून।

सिंचाई विभाग — देहरादून, दिनांक 07 फरवरी 2006

विषयः– जनपद हरिद्वार में गंगा नहर के बाये किनारे किमी0 6.040 जटवाड़ा पुल से किमी0 39.910 मगलौर पुल तक बांये सेवा मार्ग पर पक्की सड़क निर्माण की योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, गंगाघाटी जल विद्युत परियोजनायें सिंचाई विभाग उत्तरांचल के पत्र सं0 5800/ग0ज0प0/पी–43 (हरिद्वार) दिनांक 30.09.05 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि " **जनपद हरिद्वार में गंगा नहर के बांये किनारे किमी0 6.040 जटवाड़ा पुल से किमी0 39.910 मगलौर पुल तक बांये सेवा मार्ग पर पक्की सड़क निर्माण की योजना**" रू0 1239.00 लाख की लागत के आगणन पर टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत लागत रू0 923.40 लाख (रूपये नौ करोड़ तेईस लाख चालीस हजार मात्र) के आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है :–

1– उक्त योजना पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व इन योजना के आगण पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

2– उक्त कार्या के निष्पादन में वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स, टेण्डर विषयक नियम, मितव्ययता के सम्बन्ध में आदेश एवं शासन द्वारा इस विषय में समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का पालन किया जाय।

3– स्वीकृत की जा रही योजना का कार्य समयवद्ध रूप से पूर्ण किया जाय।

4– कार्य की गुणवत्ता एवं समयवद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

5– आगणन में उल्लिखित दरें जो शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बजार भाव से ली गयी है कि स्वीकृति भी नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

6– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी होंगी बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।

7– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8– एकमुस्त प्राविधान पर कार्य करने से पूर्व निस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

क्रमशः 2

9– कार्य करने से पूर्व तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर सिंचाई विभाग की प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य सुनिश्चित किया जायेगा।

10– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भान्ति निरीक्षण उच्चाधिकारियों से अवश्य करा ले निरीक्षण के पश्चात स्थलीय आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

11– निर्माण सामग्री प्रयोग में लेने से पूर्व किसी प्रयोगशाला में टैस्टिंग कराकर उपयुक्त पायी जाने पर ही सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

12– कार्य कराने से पूर्व दर विश्लेषण का अनुमोदन अधीक्षण अभियन्ता, 24 वां वृत्त लोक निर्माण विभाग देहरादून से अवश्य करा लिया जाय।

2– यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय संख्या– 186/XXVII(2) /2006 दिनांक 6 फरवरी, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

संख्याः-342/ II–2006–04(21)/05 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरॉचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– वित्त अनुभाग–2 ।
3– जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
4– निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, सिंचाई एवं ऊर्जा, उत्तरांचल।
5– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तरॉचल।
7– बजट राजकोषयी नियोजन तथा संसाधन निदेशालय देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव